



कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

Chief Engineer PWD Zone Bilaspur Office Campus, Front of District Court Bilaspur (C.G.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@gov.in) Phone - 07752-400946

ज्ञाप. क्रमांक 1162/लोन-3/पी.20/ए.डी.बी./2022-23

बिलासपुर दिनांक 13/7/2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest conservation Act.-1980. Rehabilitation and upgradation of Dharamjaigarh-Kapu Road Area 10.465 Hac. - Regarding Registration No. - FP/CG/ROAD/43587/2019.

संदर्भ :- 1. आपका ज्ञाप क्रमांक मा.चि./2904 धरमजयगढ़, दिनांक 11.07.2022.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) ज्ञाप क्रमांक भू-प्रबंध/विविध/115-844/1530 रायपुर, दिनांक 06.07.2022.

— 00 —

विषयांतर्गत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 अंतर्गत रकबा 10.465 हे. वन भूमि में कापू से धरमजयगढ़ मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव में परीक्षण पश्चात् संदर्भित पत्र क्रमांक-02 में उल्लेखित त्रुटियों का सुधार/निराकरण कर बिन्दुवार आपत्तियों का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क.	आपत्ति	जवाब
1	प्रस्ताव में संलग्न वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संरक्षित वन - 1.15 हे., आरक्षित वन - 4.483 हे. एवं राजस्व वन - 4.832 हे. कुल - 10.465 हे. अनुशंसा किया गया है, परन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म-ए पार्ट-1 में के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेंसिंग मैप में उक्त क्षेत्रफल सुधार अनुशंसा अपलोड नहीं कराया गया है। वनमंडलाधिकारी आवेदक संस्थान को ई.डी.एस. कर फार्म-ए पार्ट-1 में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा अनुरूप समस्त अपलोड पी.डी.एफ. फाईल (संशोधित प्रस्ताव से संबंधित समस्त डाक्यूमेंट) सुधार कर अपलोड करावें।	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है - संरक्षित वन क्षेत्र : 1.636 हे . आरक्षित वन क्षेत्र : 3.997 हे . राजस्व वन क्षेत्र : 4.832 हे . कुल प्रस्तावित वन क्षेत्र : 10.465 हे. निर्देशानुसार के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेंस मैप अपलोड किया गया है।
2	C.(ii) b (i): Upload .kml का Attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करावें।	निर्देशानुसार KML फाइल RF, PF के कक्ष क्र एरिया सहित सम्बंधित परिक्षेत्र एवं संभाग एवं राजस्व वनभूमि के खसरा क्रमांक एरिया, सम्बंधित ग्राम तहसील, जिला आदि का विवरण अपडेट कर अपलोड कर दिया गया है।

3	Form A Part-I में Coloumn no. K Status of settlement of right under the Forest Right Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted (i) Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No. उक्त कॉलम में वन अधिकार प्रमाण पत्र अपलोड करावें।	वन अधिकार प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
4	Form A Part-I के अतिरिक्त जानकारी में संशोधित सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करावें। प्रस्ताव में संशोधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	संशोधित सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
5	Form A Part-I के कॉलम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (part II, III & Part IV) में अपलोड भाग-3 में दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक का उल्लेख कर अपलोड करें।	—

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक 1163 / लोन-3 / पी.20 / ए.डी.बी. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 13/7/2022

1. परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।


परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)